भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1873** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों में परिसंकटमय सामग्री

†1873. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि निजी पत्तन परिसंकटमय पदार्थों से होने वाले संभावित नुकसान से कामगारों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान सहित व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का पालन करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी पत्तनों में कामगारों के बीच परिसंकटमय पदार्थों के संपर्क के स्तर का मूल्यांकन करने तथा उनके कार्य वातावरण से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने के लिए हाल ही में कोई आकलन या अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परिसंकटमय पदार्थों से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा विनियमों के अनुपालन की निगरानी और निजी पत्तनों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू प्रवर्तन तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा अनुपालन नहीं किए जाने के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): सरकार ने पत्तनों में व्यवसायिक सुरक्षा मानक सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉक कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया है।

सभी महापत्तनों में फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का डॉक सुरक्षा मुख्य निरीक्षक कार्यालय जो कि केन्द्र सरकार होने के नाते डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम, 1990 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

महापत्तनों के अलावा, अन्य पत्तनों में राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।

*****